क्रम-संख्या—910

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 13 जुलाई, 1987

आषाढ़ 22, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 969/सत्रह-वि-1—1 (क) 10-1987

लखनऊ, 13 जुलाई, 1987

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 9 जुलाई, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम 1987

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1987]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 31 मार्च, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में उपधारा (1) में शब्द और अंक "31 मार्च, 1987" के स्थान पर, शब्द और अंक "31 मार्च, 1988" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 2-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी और 10 सितम्बर, 1986 से बढ़ायी गयी समझी जायगी अर्थात्:—

"2-क—ऐसे जिला परिषदों के सम्बन्ध में जिनका संघटन इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किया गया है, धारा 2 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, यथास्थिति, उनके कार्यकाल या बढ़ाये गये कार्यकाल की समाप्ति के दिनांक से लागू होंगे।"

निरसन और उपवाद

उत्तर प्रदे अध्यादेश संख्या 3 सन् 1987

4—(1) उत्तप प्रदेश जिला परिषद् (अलपकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्सम्बधी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 969(2)/XVII-V-1—1(KA)-10-1987
Dated Lucknow, July 13, 1987

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the follwing English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 9, 1987:

THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAVASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1987

[U. P. ACT NO. 10 OF 1987]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows —

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 31, 1987.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1977.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam 1977, hereinafter referred to as the principal Act in sub-section (1), *for* the words and figures "31st day of March, 1987," the words and figures "31st day of March, 1988" shall be *substituted*.

Insertion of new section 2-A.

3. *After* section 2 of the principal Act, the following section shall be inserted and be deemed to have been *inserted* with effect from September 10, 1986, namely :—

"2-A—In relation to such Zila Parishads as have been constituted after the commencement of this Act, the provisions of section 2 shall *mutatis mutandis* apply with effect from the date of expiry of their term or extended term, as the case may be."

U.P. Ordinance no. 3 of 1987.

4. (1) The Uttar Pradesh Zila Parishds (Alpakalik Vyavastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1987, is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 76 ता० (विधा०)-(1457)-1987-850 (मेक०)।